राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर पीठ

एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 1498/2017

रामदयाल बलाई पुत्र श्री नारायण बलाई, निवासी 6-ए-74, चन्द्रशेखर आजाद नगर, भीलवाड़ा।

-----याचिकाकर्ता

बनाम

1. ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, अपने अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक के माध्यम से, प्रधान कार्यालय ए-25-27, आसफ अली रोड, नई दिल्ली-10002।
2. मुख्य प्रबंधक, द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ए-25-27, आसफ अली रोड, नई दिल्ली।
3. वरिष्ठ मंडल प्रबंधक, द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, एस.के. प्लाजा, पुर रोड, भीलवाडा।

-----प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्ता (गण) की ओर से	:	श्री अनिल भंडारी, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी (गण) की ओर से	:	श्री जगदीश व्यास, अधिवक्ता

माननीय न्यायमूर्ति कुलदीप माथुर

<u>आदेश</u>

<u>रिपोर्टबल</u>

<u>18/10/2022</u>

वर्तमान रिट याचिका दायर करके याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित राहत की प्रार्थना की है:-

I. "प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.03.2013 (अनु.14), इस हद तक कि याचिकाकर्ता पेंशन लाभ का पात्र नहीं है क्योंकि उसने 20 वर्ष की सेवा पूरी नहीं की है, इसे अवैध घोषित किया जा सकता है और कृपया इसे अपास्त किया जा सकता है।

II. याचिकाकर्ता जो स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हुए और लगभग 19 वर्ष की सेवा पूरी कर ली, उन्हें पेंशन योजना, 1995 के खंड 14 के तहत पेंशन और पेंशन के रूपान्तरण का पात्र घोषित किया जाए।

III. प्रत्यर्थीगण को याचिकाकर्ता को ब्याज सहित पेंशन जारी करने और पेंशन का कम्युटेशन करने का निर्देश दिया जा सकता है।

IV. प्रत्यर्थीगण को भारत सरकार द्वारा 08.10.2010 को अधिसूचित वेतनमान के संशोधन के अनुसार याचिकाकर्ता के मूल वेतन और अन्य भत्तों को संशोधित करने के लिए निर्देशित किया जा सकता है।

V. प्रत्यर्थीगण को वेतनमान में संशोधन के बाद ब्याज सहित ग्रेच्युटी को संशोधित करने के लिए निर्देशित किया जा सकता है।

VI. प्रत्यर्थीगण को याचिकाकर्ता को ब्याज सहित जीएसएलआई, अवकाश नकदीकरण, एमबीआईएस और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ जारी करने का भी निर्देश दिया जा सकता है।

VII. कोई अन्य उचित रिट, आदेश या निर्देश जो मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में न्यायसंगत और उचित समझा जा सकता है, पारित किया जा सकता है।

VIII. कृपया रिट याचिका की लागत याचिकाकर्ता को देने का

आदेश दिया जाए।"

मामले के संक्षेप में बताए गए तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता दिनांक 01.12.2017 से प्रत्यर्थी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (संक्षेप में, 'कंपनी') में सेवाओं में 14.11.1990, सहायक (क्लर्क) पद पर शामिल हुआ। याचिकाकर्ता ने प्रत्यर्थी-कंपनी के संभागीय कार्यालय, भीलवाड़ा में सहायक (क्लर्क) के पद पर रहते हुए दिनांक 13.04.2009 को दो एक माह के नोटिस (अनुलग्नक.1 और अनुलग्नक. आर/3) प्रस्तुत कर उसे दिनांक 01.01.2017 से सेवाओं से मुक्त करने की प्रार्थना की। 13.05.2009 प्रत्यर्थी-संगठन के अधिकारियों ने याचिकाकर्ता को आवास ऋण की बकाया राशि के लिए 4,35,000/- रुपये की राशि जमा करने का निर्देश दिया, ताकि दिनांक 13.04.2009 के नोटिस की स्वीकृति की सुविधा मिल सके। याचिकाकर्ता द्वारा बकाया गृह ऋण की राशि दिनांक 17.06.2009 को जमा कर दी गई। नतीजतन, इस्तीफे की मांग करने वाला नोटिस (अनुलग्नक.आर/3) सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार कर लिया गया और याचिकाकर्ता को 10.01.2018 से सेवाओं से मुक्त कर दिया गया। 22.06.2009 (अनुलग्नक 5)। याचिकाकर्ता के पक्ष में ग्रेच्युटी और भविष्य निधि जारी की गई थी, हालांकि, पेंशन और पेंशन का कम्युटेशन जारी नहीं किया गया था। याचिकाकर्ता ने पेंशन से इनकार किए जाने से व्यथित होकर प्रत्यर्थीगण को कई अभ्यावेदन प्रस्तुत किए। प्रत्यर्थी संख्या 2 ने पत्र दिनांक 04.03.2013 (अनुलग्नक 14) के माध्यम से याचिकाकर्ता को सूचित किया कि चूंकि उसने प्रत्यर्थी-कंपनी के साथ बीस वर्ष की अर्हक सेवा पूरी नहीं की है, इसलिए सामान्य बीमा (कर्मचारी) (पेंशन योजना 1995) के अनुसार पेंशन योजना 1995 के लिए दावा स्वीकार्य नहीं है।

याचिकाकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता ने दिनांक 13.04.2009 (अनुलग्नक 1) के नोटिस के माध्यम से प्रतिवादी-कंपनी से सेवाओं से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की मांग करने वाले नोटिस को स्वीकार करने और सभी सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान करने का अनुरोध किया। उक्त आवेदन प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर को अग्रेषित किया गया था। विद्वान वकील ने

प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी संख्या 3 ने पत्र दिनांक 13.05.2009 (अनुलग्नक 2) के माध्यम से याचिकाकर्ता को सूचित किया कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की मांग करने वाला आवेदन क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर द्वारा 4,75,000 रुपये की गृह ऋण राशि को मंजूरी देने के अधीन स्वीकार कर लिया गया है। याचिकाकर्ता पर एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का बकाया है। विद्वान वकील ने आगे प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता के पत्र दिनांक 15.02.2013 के जवाब में प्रतिवादी नंबर 2 ने दिनांक 04.03.2013 को संचार के माध्यम से सूचित किया कि उन्होंने सत्यमेव जयत ने 13.05.2009, से सेवाओं से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की मांग की थी। प्रतिवादी-कंपनी में बीस साल की सेवा पूरी किए बिना, इसलिए, 1995 की पेंशन योजना के अध्याय-5, पैरा-30 के अनुसार), स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर उसके पक्ष में पेंशन नहीं दी जा सकती। यह आग्रह किया गया कि पेंशन योजना, 1995 के अध्याय-4, पैरा-14 में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है कि जिस कर्मचारी ने सेवानिवृत्ति की तिथि पर प्रतिवादी-कंपनी में न्यूनतम दस वर्ष की सेवा प्रदान की है, वह पेंशन के लिए पात्र होगा। विद्वान वकील ने इस प्रकार आग्रह किया कि दिनांक 04.03.2013 का आक्षेपित पत्र (अनुलग्नक.14) जिसमें याचिकाकर्ता को पेंशन देने और पेंशन में कटौती करने से इनकार किया गया है, पेंशन योजना, 1995 में निहित प्रावधानों के अनुरूप नहीं है, इसलिए, इसे अवैध घोषित किया जाना चाहिए और इस न्यायालय द्वारा मनमाना। उपरोक्त तर्कों के समर्थन में निर्णयों पर भरोसा निम्नलिखित पर रखा गया था :-

(i) महावीर प्रसाद पारीक बनाम. यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य। (खंडपीठ सिविल विशेष अपील (रिट) क्रमांक 178/2009;

(ii) यशवंत हरि कटक्कर बनाम। भारत संघ एवं अन्य। (1988 की एस.एल.पी. संख्या 6365 से उत्पन्न;

(iii) नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य। बनाम कृपाल सिंह ने 2014 एआईआर एससीडब्ल्यू 965 में प्रकाशित;

(iv) घनश्याम रमानी बनाम द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और

अन्य। (खंडपीठ सिविल विशेष अपील (रिट) संख्या 607/2008)।

इसके विपरीत, प्रत्यर्थी-कंपनी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता ने अच्छी नीयत से इस न्यायालय का रुख नहीं किया है और वर्तमान विवाद के निर्णय के लिए महत्वपूर्ण भौतिक तथ्यों को दबा दिया गया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता ने नोटिस दिनांक 13.04.2009 (अनुलग्नक 1) के माध्यम से सेवाओं से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की मांग की, हालांकि, ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता को यह एहसास हुआ कि बीस वर्ष की सेवाएं पूरी न करने पर वह स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन करने से वंचित हो जाएगा। सेवाओं से, दिनांक 13.04.2009 को एक और आवेदन प्रस्तुत किया (अनुलग्नक आर/3), जिसमें प्रत्यर्थी-संगठन की सेवाओं से त्यागपत्र दिनांक 13.05.2009 देने का इरादा है। त्याग पत्र दिनांक 13.04.2009 (अनुलग्नक आर/3) को 22.06.2009 से सभी बकाया अग्रिमों और ऋणों के भुगतान पर प्रत्यर्थी-कंपनी द्वारा स्वीकार कर लिया गया था (अनुलग्नक 5)। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता के सेवाओं से इस्तीफे की स्वीकृति के परिणामस्वरूप सभी टर्मिनल लाभ पहले ही उसके पक्ष में जारी कर दिए गए थे।

विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता प्रत्यर्थी-कंपनी द्वारा जारी किए गए कुछ पत्राचारों में हुई अनजाने में हुई गलती का अनुचित लाभ उठाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें "त्यागपत्र" के स्थान पर "स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति" शब्दों का इस्तेमाल किया गया था।

अंत में यह आग्रह किया गया कि याचिकाकर्ता का त्यागपत्र प्रत्यर्थी-कंपनी द्वारा जून, 2009 के माह में स्वीकार कर लिया गया था, जबकि वर्तमान रिट याचिका वर्ष 2017 में दायर की गई है, इस न्यायालय से संपर्क करने में 8 वर्ष की अत्यधिक देरी के बारे में बताए बिना। उपरोक्त उल्लिखित तर्कों के समर्थन में, विद्वान अधिवक्ता ने निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा जताया:-

(i) वरिष्ठ मंडल प्रबंधक, भारतीय जीवन बीमा निगम एवं अन्य बनाम श्री

लाल मीना ने (2019) 4 एससीसी 479 में प्रकाशित;

(ii) बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड बनाम घनश्याम चंद शर्मा एवं अन्य (2020) 3 एससीसी 346 में प्रकाशित;

(iii) एम.आर. प्रभाकर और अन्य बनाम केनरा बैंक एवं अन्य (2012) 9 एससीसी 671 में प्रकाशित;

(iv) कार्यकारी अभियंता, लोअर वाना परियोजना, सिंचाई विभाग, वर्धा बनाम मारोती बापुराव औचात एवं अन्य ने (2012) 9 एससीसी 680 में प्रकाशित;

(v) राष्ट्रीय बीमा विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्त/सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ और अन्य। बनाम यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य (एसएलपी (ग) संख्या 31906/2017 से उत्पन्न 2018 की सिविल अपील संख्या 10775);

(vi) मनोजभाई एन. शाह और अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य। (2015) 4 एससीसी 482 में प्रकाशित;

(vii) आम बीमा सेवा निवृत्त कर्मचारी समिति बनाम भारत संघ एवं अन्य (खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 113/2015);

(viii) ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य बनाम आम बीमा सेवा निवृत्त कर्मचारी समिति एवं अन्य (खंडपीठ सिविल विशेष अपील (रिट) क्रमांक 1027/2013;

उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना और रिकार्ड पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

पेंशन योजना, 1995 के पैरा-14, अध्याय-IV और पैरा-30, अध्याय-V को तत्काल संदर्भ के लिए नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:-

"अध्याय-IV अर्हक सेवा

(14) अर्हक सेवा.-

इस योजना में निहित अन्य शर्तों के अधीन, एक कर्मचारी जिसने सेवानिवृत्ति की तिथि पर निगम या कंपनी में न्यूनतम दस वर्ष की सेवा प्रदान की है, वह पेंशन के लिए पात्र होगा।

अध्याय-V पेंशन की श्रेणियाँ

(30) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर पेंशन.-

(1) किसी कर्मचारी द्वारा बीस वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने के बाद किसी भी समय, वह नियुक्ति प्राधिकारी को लिखित रूप में न्यूनतम नब्बे दिन का नोटिस देकर सेवा से सेवानिवृत्त हो सकता है:

बशर्ते कि यह उप-पैरा किसी ऐसे कर्मचारी पर लागू नहीं होगा जो प्रतिनियुक्ति पर है जब तक कि स्थानांतरित होने या भारत में वापस आने के बाद उसने भारत में पद का प्रभार फिर से शुरू नहीं किया है और कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए सेवा की है:

बशर्ते कि यह उप-पैरा उस कर्मचारी पर लागू नहीं होगा जो किसी स्वायत्त निकाय या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में स्थायी रूप से अवशोषित होने के लिए सेवा से सेवानिवृत्ति चाहता है, जिसमें वह स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की मांग के समय प्रतिनियुक्ति पर है।

(2) उप-पैरा (1) के तहत दी गई स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की सूचना के लिए नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति की आवश्यकता होगी:

बशर्ते कि जहां नियुक्ति प्राधिकारी उक्त नोटिस में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पहले सेवानिवृत्ति की अनुमति देने से इनकार नहीं करता है, सेवानिवृत्ति उक्त अवधि की समाप्ति की तारीख से प्रभावी होगी।

(3) उप-पैराग्राफ (1) में निर्दिष्ट एक कर्मचारी नियुक्ति प्राधिकारी को कारण बताते हुए नब्बे दिन से कम की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की सूचना स्वीकार करने के लिए लिखित रूप में अनुरोध कर सकता है;

(ख) खंड (क) के तहत अनुरोध प्राप्त होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी, उप-पैरा (2) के प्रावधानों के अधीन, गुणागुण के आधार पर नब्बे दिनों की नोटिस की अवधि में कटौती के लिए ऐसे अनुरोध पर विचार कर सकता है और यदि ऐसा है इस बात से संतुष्ट होकर कि नोटिस की अवधि में कटौती से कोई प्रशासनिक असुविधा नहीं होगी, नियुक्ति प्राधिकारी नब्बे दिनों के नोटिस की आवश्यकता में इस शर्त पर छूट दे सकता है कि कर्मचारी समय सीमा समाप्त होने से पहले अपनी पेंशन के एक हिस्से के रूपान्तरण के लिए आवेदन नहीं करेगा।

(4) एक कर्मचारी जिसने इस पैराग्राफ के तहत सेवानिवृत्त होने का चुनाव किया है और नियुक्ति प्राधिकारी को इस आशय की आवश्यक सूचना दी है, उसे ऐसे प्राधिकारी की विशिष्ट मंजूरी के बिना अपना नोटिस वापस लेने से रोका जाएगा:

बशर्ते कि ऐसी वापसी का अनुरोध उसकी सेवानिवृत्ति की अपेक्षित तिथि से पहले किया जाएगा।

(5) इस पैराग्राफ के तहत स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी की अर्हक सेवा पांच वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जाएगी, इस शर्त के अधीन कि ऐसे कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई कुल अर्हक सेवा किसी भी मामले में तैंतीस वर्ष से अधिक नहीं होगी और ऐसा होता है उसे सेवानिवृत्ति की तारीख से आगे न ले जाएं।

(6) इस पैराग्राफ के तहत सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी की

पेंशन इस योजना के पैराग्राफ 2 के खंड (घ) के तहत परिभाषित औसत परिलब्धियों पर आधारित होगी और उसकी अर्हक सेवा में पांच वर्ष से अधिक की वृद्धि उसे इसका पात्र नहीं बनाएगी। उसकी पेंशन की गणना के प्रयोजन के लिए वेतन का कोई काल्पनिक निर्धारण;

स्पष्टीकरण: इस पैराग्राफ के प्रयोजन के लिए, नियुक्ति प्राधिकारी इस योजना के परिशिष्ट- I में निर्दिष्ट नियुक्ति प्राधिकारी होगा।

पेंशन योजना, 1995 का पैरा-14, अध्याय-IV उन मामलों से संबंधित है जहां एक कर्मचारी दस वर्ष की सेवाएं प्रदान करने पर सेवाओं से सेवानिवृत्त हो जाता है। इस न्यायालय को यह निष्कर्ष निकालने में कोई झिझक नहीं है कि पेंशन योजना, 1995 का अध्याय-IV, पैरा-14 वर्तमान मामले पर लागू नहीं होता है, क्योंकि यह केवल उस कर्मचारी पर लागू होता है जो सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर सेवाओं से सेवानिवृत्त हो रहा है।

पैरा-30, अध्याय-V, सेवाओं से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर पेंशन का दावा करने वाले प्रत्यर्थी-कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी के अधिकार से संबंधित है। उक्त पैरा में स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर पेंशन उस कर्मचारी को उपलब्ध होगी जिसने बीस वर्ष की अर्हक सेवा पूरी कर ली है। दूसरे शब्दों में, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर पेंशन के लिए पात्र बनने के लिए, एक कर्मचारी को बीस वर्ष की सेवा प्रदान करना आवश्यक है।

यह देखा गया है कि 22.06.2009 तक, याचिकाकर्ता ने 1995 की पेंशन योजना के पैरा-30, अध्याय-V के अनुसार पेंशन के लिए पात्र होने वाली बीस वर्ष की सेवा पूरी नहीं की थी।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उद्धृत निर्णय वर्तमान मामले में लागू नहीं होते हैं, क्योंकि वर्तमान मामले में पेंशन का दावा सामान्य बीमा (कर्मचारी) पेंशन योजना, 1995 के प्रावधानों के आलोक में तय किया जाना है,

न कि किसी अन्य केयोजना तहत।

एलआईसी बनाम श्री लाल मीना ने (2019) 4 एससीसी 499 में प्रकाशितके मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय नेनिम्नलिखित शब्दों में "त्यागपत्र" और "स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति" के बीच अंतर को स्पष्ट किया:

> **"22.**....[आरबीआई बनाम सेसिल डेनिस सोलोमन, एससीसी पीपी 467-68, पैरा10 को उद्धृत करते हुए]
>
> '**10.** "सेवा न्यायशास्त्र में, अभिव्यक्तियाँ "सेवानिवृत्ति", "स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति", "अनिवार्य सेवानिवृत्ति" और "त्यागपत्र" अलग-अलग अर्थ व्यक्त करती हैं। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति और इस्तीफे में कर्मचारी की ओर से सेवा छोड़ने के लिए स्वैच्छिक कार्य शामिल होते हैं। हालाँकि, दोनों में स्वैच्छिक कार्य शामिल हैं, वे अलग-अलग तरीके से कार्य करते हैं। बुनियादी अंतरों में से एक यह है कि इस्तीफे के मामले में इसे किसी भी समय दिया जा सकता है, लेकिन स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मामले में, इसे अर्हक सेवा की निर्धारित अवधि प्रदान करने के बाद ही मांगा जा सकता है। एक और बुनियादी अंतर यह है कि पूर्व के मामले में, आम तौर पर सेवानिवृत्ति लाभों से इनकार किया जाता है, लेकिन बाद वाले के मामले में, इसे अस्वीकार नहीं किया जाता है। पूर्व के मामले में, अनुमति या नोटिस अनिवार्य नहीं है, जबकि बाद के मामले में, संबंधित नियोक्ता की अनुमति एक अपेक्षित शर्त है। यद्यपि त्यागपत्र एक द्विपक्षीय अवधारणा है, और सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार किए जाने पर प्रभावी हो जाता है, फिर भी सामान्य नियम को इसके विपरीत स्पष्ट प्रावधानों द्वारा विस्थापित किया जा सकता है।"

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित कानून के मद्देनजर, "त्यागपत्र" और "स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति" शब्द के एक ही अर्थ नहीं हैं। जब कोई

कर्मचारी त्यागपत्र देता है, तो यह मौजूदा नियोक्ता-कर्मचारी संबंध को समाप्त करने के लिए कर्मचारी की ओर से एक स्वैच्छिक कार्य होता है, जिसमें आम तौर पर पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभों की गैर-स्वीकार्यता के साथ-साथ पिछली सेवाओं को जब्त करना शामिल होता है। जबकि, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मामलों में, सेवा की योग्यता अवधि की आवश्यकता को पूरा करना आवश्यक है।

माना जाता है कि, वर्तमान मामले में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए कम से कम 90 दिनों के नोटिस के साथ बीस वर्ष की अर्हक सेवा की अवधि आवश्यक है।

एआईआर 1993 एससी 852में रिपोर्ट किए गए **रामजस फाउंडेशन बनाम भारत संघ** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने माना कि जब कोई व्यक्ति संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत अपने असाधारण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए इक्विटी कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है, उसे न केवल अच्छी नीयत से बल्कि साफ दिमाग, साफ दिल और साफ उद्देश्य के साथ अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहिए।

इसी प्रकार, **श्री के. जयराम एवं अन्य बैंगलोर विकास प्राधिकरण और अन्य। 2021 की सिविल अपील संख्या 7550-7553,** के मामले में। माननीय उच्चतम न्यायालय ने माना कि एक वादी जिसने भौतिक तथ्यों को छिपाया है और अच्छी नीयत से न्यायालय में नहीं आया है, वह असाधारण, न्यायसंगत और विवेकाधीन राहत का पात्र नहीं है।

यह देखा गया है कि याचिकाकर्ता ने दिनांक 13.04.2009 अर्थात अनुलग्नक दो आवेदन/नोटिस प्रस्तुत किये थे। 1 और अनुलग्नक. आर/3 क्षेत्रीय प्रबंधक, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर को संबोधित है। हालाँकि, याचिकाकर्ता ने केवल एक आवेदन/नोटिस दिनांक 13.04.2009 (अनुलग्नक 1) को रिकॉर्ड में रखा है, जिसमें सेवाओं से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की मांग की गई थी। सम तारीख अर्थात 13.04.2009 (अनुलग्नक आर/3) का त्यागपत्र देने वाला दूसरा आवेदन इस न्यायालय के समक्ष रिकॉर्ड पर नहीं रखा

गया है। इससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि याचिकाकर्ता ने अच्छी नीयत इस न्यायालय का रुख नहीं किया है और न्यायालय को गुमराह करने के स्पष्ट इरादे से सेवाओं से इस्तीफे के लिए दिनांक 13.04.2009 के आवेदन/नोटिस को दबा दिया है।

यह कानून का एक स्थापित प्रस्ताव है कि न्यायालय न्याय प्रदान करने के लिए हैं और जो भी अदालत में आता है उसे अच्छी नीयत आना चाहिए। प्रत्येक वादी का दायित्व है कि वह मामले में उठाए गए मुद्दों के निर्णय पर असर डालने वाले सभी सामग्री/महत्वपूर्ण तथ्यों को स्पष्ट रूप से और सही ढंग से प्रकट करे। न्यायालय के प्रति उसका कर्तव्य है कि वह सभी तथ्यों को सामने लाए और अपनी जानकारी में किसी भी भौतिक तथ्य को छुपाने/दबाने से बचें या जिसे वह सामान्य विवेक वाले व्यक्ति से अपेक्षित उचित परिश्रम के जरिए जान सकता था। किसी बेईमान वादी को व्यक्तिगत लाभ के लिए न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

उपरोक्त के मद्देनजर, इस न्यायालय को वर्तमान रिट याचिका में कोई योग्यता नहीं मिलती है। तदनुसार, इसे लागत के साथ अपास्त कर दिया जाता है, जिसकी मात्रा रूपये 10,000/- निर्धारित की गई है, जिसे राजस्थान सरकार विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर के पास आदेश की तारीख से चार सप्ताह की अवधि के भीतर जमा किया जाना है और उसकी रसीद फ़ाइल में रखी जा सकती है।

सभी लंबित आवेदन भी अपास्त कर दिए गए हैं।

(कुलदीप माथुर), न्यायमूर्ति

प्रशान्त

टिप्पणी:इस निर्णय का हिन्दी अनुवाद निविदा फर्म **राजभाषा सेवा संस्थान** द्वारा किया गया है, जिसे फर्म के निदेशक डॉ. वी. के. अग्रवाल**,** द्वारा मान्य और सत्यापित किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन व कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।